# उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग–7

संख्या– 2555 /38–7–08–10एनआरईजीए/2005

लखनऊ: दिनांक: 23 अक्टूबर, 2008

अधिसूचना संख्या–2555/38–7–08–10 एनआरईजीए/2005 दिनांक: 23–10–08 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश ग्रामीण रोजगार गारण्टी(द्वितीय संशोधन) योजना, 2008(अंग्रेजी रूपान्तरण सहित) निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) प्रमख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) प्रमख सचिव, न्याय एव विधायी एवं विधि परामर्शी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(8) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(9) समस्त मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक।
(10) समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
(11) वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2 एवं वित्त(आय–व्यय) अनुभाग–1।
(12) नियोजन अनुभाग–1/विधायी अनुभाग–1।
(13) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को उपर्युक्त अधिसूचना (अंग्रेजी रूपान्तरण सहित) की दो सत्यापित प्रतियों सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को विधायी परिशिष्ट, भाग–4 खण्ड(ख) (परिनियत आदेश) के अन्तर्गत असाधारण गजट में मुद्रित कराकर(मुख पत्र सहित) अधिसूचना की 500 प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
(14) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आर0 पी0 सिंह)
अनुसचिव।

**उत्तर प्रदेश शासन**
ग्राम्य विकास अनुभाग –7
संख्या–2555/38–7–08–10एन0आर0ई0जी0ए0/2005
लखनऊः दिनांक : 23 अक्टूबर, 2008

## अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897(अधिनियम संख्या–10 सन् 1897) की धारा–21 के साथ पठित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम–2005(अधिनियम संख्या–42 सन् 2005) की धारा–4 की उपधारा–(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, सरकारी अधिसूचना संख्या–107/38–7–2006–एनआरईजीए/06 दिनांकः 08 फरवरी, 2007 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित योजना बनाते हैं:–

## उत्तर प्रदेश ग्रामीण रोजगार गारण्टी(द्वितीय संशोधन) योजना, 2008

**संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ**

1- (1) यह योजना उत्तर प्रदेश ग्रामीण रोजगार गारण्टी(द्वितीय संशोधन) योजना, 2008 कही जायेगी।
(2) इसका विस्तार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005 की धारा–3 की उपधारा–(1) के अधीन अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में होगा।
(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

**खण्ड–1.1 का संशोधन**

2–सरकारी अधिसूचना संख्या–107/38–7–2007–8एनआरईजीए/06 दिनांकः 8 फरवरी, 2007 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में जिसे आगे उक्त योजना कहा गया है, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये खण्ड 1.1 के स्थान पर स्तम्भ–2 मे दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा अर्थातः–

| स्तम्भ–1<br>विद्यमान खण्ड | स्तम्भ–2<br>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड |
|---|---|
| प्रस्तर–1.1 योजना का नामः<br>यह योजना निम्नलिखित नाम से जानी जायेगीः–<br>"राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम –2005 की धारा–4(1) के अन्तर्गत उ0प्र0 ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना" | प्रस्तर–1.1 योजना का नामः<br>यह योजना निम्नलिखित नाम से जानी जायेगीः–<br>"राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम–2005 की धारा–4 की उपधारा(1) के अन्तर्गत राष्ट्रीय -ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, उत्तर प्रदेश" |

**खण्ड–5.4, 5.5 और 5.9 का संशोधन**

3. उक्त योजना में, नीचे स्तम्भ में दिये गये खण्ड 5.4, 5.5 और 5.9 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्:–

| | |
|---|---|
| प्रस्तर–5.4<br>जनपद में तैयार किये गये पैनल को शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जायेगा। शासन के अनुमोदनोंपरान्त ही इनसे कार्य लिया जायेगा। | प्रस्तर–5.4<br>5 से 10 ग्राम पंचायतों पर एक तकनीकी सहायक तथा विकास खण्ड स्तर पर एक तकनीकी सहायक की सेवाएं ली जायेंगी। तकनीकी सहायकों की सेवाएं सेवाप्रदाता के माध्यम से प्राप्त की जायेगी। वे विभाग के कर्मी न होकर सेवाप्रदाता के कर्मी होंगे। |

| | |
|---|---|
| **प्रस्तर–5.5**<br>चयन हेतु बाहर से लिये गये अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता निम्न होगीः–<br>1.न्यूनतम शैक्षिक योग्यता–इण्टरमीडिएट।<br>2.डिप्लोमा–सिविल इंजीनियरिंग/मैकेनिकल इंजीनियरिंग। | **प्रस्तर–5.5**<br>तकनीकी सहायकों की शैक्षिक योग्यता निम्नवत होगीः–<br>1. न्यूनतम शैक्षिक योग्यता– हाईस्कूल एवं सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल ट्रेड में डिप्लोमा।<br>2. विकास खण्ड स्तर पर तकनीकी सहायक की सेवाएं लेने के लिए अभ्यर्थी के पास उक्त शैक्षिक अर्हता के साथ–साथ 08 वर्ष का अनुभव भी अवश्य होना चाहिए। |
| | 5.5.क. तकनीकी सहायकों की न्यूनतम और अधिकतम आयु क्रमशः 18 वर्ष और 62 वर्ष होगी। तकनीकी सहायक के पद पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवा लेने के लिए यह अवश्य ध्यान रखा जायेगा कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक रहा हो और उसकी सेवा समाप्त न की गयी हो। |
| **प्रस्तर–5.9**<br>गैर शासकीय चयनित अभियन्ताओं की सेवाओं के बदले उन्हें किये जाने वाले भुगतान/मानदेय का निर्धारण निम्न प्रकार होगाः–<br>**5.9.1**<br>परियोजना का प्राक्कलन तैयार करने हेतु परियोजना लागत का 0.5 प्रतिशत भुगतान किया जायेगा।<br>**5.9.2**<br>परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु संबंधित तकनीकी सहायक को योजना की लागत का 0.1 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से देय होगा।<br>**5.9.3**<br>तकनीकी सहायकों द्वारा आगणन तैयार करने, परियोजना का पर्यवेक्षण करने आदि के लिए प्रतिमाह रू0 500.00 यात्रा भत्ता के रूप में देय होगा। | **प्रस्तर–5.9**<br>ग्राम पंचायत स्तरीय तकनीकी सहायकों को भारत सरकार के आदेश दिनांकः 10 जनवरी, 2006 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार प्रतिमाह रू0 4,000/– की अधिकतम धनराशि मानदेय के रूप में तथा विकास खण्ड स्तरीय तकनीकी सहायक को प्रतिमाह रू0 8,000/– की अधिकतम धनराशि मानदेय के रूप में दिया जायेगा। सेवाएं प्राप्त करते समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का अनुपालन किया जायेगा। |

**4. उक्त योजना में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान खण्ड 6.3, 6.5 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिए गये खण्ड क्रमशः रख दिये जायेंगे, अर्थात्:–**

| <u>स्तम्भ–1</u><br><u>विद्यमान खण्ड</u> | <u>स्तम्भ–2</u><br><u>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड</u> |
|---|---|
| 6.3 जिला स्तरः– इस खाते का संचालन जिला कार्यक्रम समन्वयक तथा अध्यक्ष, जिला पंचायत के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। ग्राम पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत से संबंधित कार्यो के सापेक्ष धनराशि कार्यक्रम अधिकारी तथा प्रमुख क्षेत्र पंचायत के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित खाते में | 6.3 जिला स्तर– भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम के कार्यकारी दिशा निर्देश 2008 के प्रस्तर–8.3.2 के अनुसार ग्राम पंचायत से संबंधित कार्यों के सापेक्ष धनराशि ग्राम प्रधान तथा ग्राम विकास अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित खाते में ग्राम पंचायत की कार्य योजना /मांग के अनुसार भी धनराशि निर्गत की जा सकती |

| | |
|---|---|
| कार्यक्रम अधिकारी की मांग के अनुसार धनराशि निर्गत की जायेगी। | है। ग्राम पंचायतों को निर्गत धनराशि की सूचना कार्यक्रम अधिकारी को दी जायेगी। |
| **6.5** ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के लिए रोजगार गारण्टी निधि के नाम से अलग बैंक एकाउन्ट रखा जायेगा। इस एकाउन्ट में कार्यक्रम अधिकारी से ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के कियान्वयन के लिए प्राप्त होने वाली राशि जमा की जायेगी। इस खाते का संचालन ग्राम प्रधान एवं सचिव, ग्राम्य पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर इस योजना के लिये पृथक से कैश बुक, वाउचर, डेबिट लेजर, केडिट लेजर, चेक रजिस्टर, बैंक रीकन्सीलेशन रजिस्टर, आय-व्ययक पत्रक, मस्टर रोल एवं योजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाली परिसम्पत्ति से संबंधित सभी प्रकार के रजिस्टर संधारित किये जायेंगे। इन लेखों का अंकेक्षण महालेखाकार, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रकियानुसार किया जायेगा। बैलेन्स शीट एवं स्टेट्यूटरी आडिट कार्यकम अधिकारी द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा किया जायेगा। लेखा संधारण/लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक निर्देश ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे। | **6.5** ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के लिए रोजगार गारण्टी निधि के नाम से अलग बैंक एकाउन्ट रखा जायेगा। इस एकाउन्ट में जिला कार्यकम समन्वयक से ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के कियान्वयन के लिए प्राप्त होने वाली राशि जमा की जायेगी। इस खाते का संचालन ग्राम प्रधान एवं सचिव, ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर इस योजना के लिये पृथक से कैश बुक, वाउचर, डेबिट लेजर, केडिट लेजर चेक रजिस्टर, बैंक रिकंसीलेश रजिस्टर आय-व्ययक पसक, मस्टर रोल एवं योजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाली परिसम्पत्ति से सम्बन्धित सभी प्रकार के रजिस्टर संधारित किये जायेंगे। इन लेखों का अंकेक्षण महालेखाकार, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रकियानुसार किया जायेगा। बैलेन्सशीट एवं स्टैट्यूटरी आडिट कार्यकम अधिकारी द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकान्टेन्ट द्वारा किया जायेगा। लेखा संधारण/लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक निर्देश ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे। |

**ये .ध्याय 8 का ड़ाया जाना**

5- उक्त योजना मे अध्याय-7 के पश्चात निम्नलिखित अध्याय रख दिया जायेगा, अर्थातः-

## अध्याय-8
## अतिरिक्त कार्यकम अधिकारी और अन्य कार्मिक

**ातिरिक्त कार्यकम ाधिकारियों की ेयुक्ति**

**8.1** प्रत्येक जिला के समस्त विकास खण्डों में अतिरिक्त कार्यकम अधिकारियों की सेवाएं प्राप्त की जायेंगी। उन्हें प्रतिमाह मानदेय स्वरूप अधिकतक 20,000 रू0 का भुगतान किया जायेगा। इन पदों पर उपगत समस्त व्ययों का वहन नरेगा के प्रशासनिक लेखा शीर्षक से किया जायेगा। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार समय-समय पर इस मानदेय को पुनरीक्षित किया जा सकता है।

ऐसे पद की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातकोत्तर उपाधि होगी। अतिरिक्त कार्यकम अधिकारी के कार्य में वित्तीय प्रबंधन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन तथा कम्प्यूटर के ज्ञान की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुए एम0बी0ए0/एम0सी0ए0/एम0एस0डब्लू/बी0टेक0/बी0ई0 उपाधि धारकों को सेवा प्राप्त करते समय विशेष अधिमान दिया जायेगा। एम0बी0ए0/एम0सी0ए0/एम0एस0डब्लू/बी0टेक0/बी0ई0 की अनुपलब्धता की स्थिति में एम0ए0(सामाजिक कार्य, अर्थशास्त्र, अप्लाइड इकोनामिक्स) और एम0कॉम0 की सेवाएं भी प्राप्त की जा सकती है। इन अधिकारियेां की सेवाएं सेवा प्रदाता के माध्यम से प्राप्त की जायेंगी। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रवृत्त आरक्षण संबंधी नियमों/उपबंधों का उनकी सेवा प्राप्ति के समय अनुपालन किया जायेगा।

**मुख्य विकास अधिकारी, संयुक्त विकास आयुक्त एवं नरेगा आयुक्त के कार्यालयों का सदढीकरण**

**8.2** प्रत्येक मुख्य विकास अधिकारी तथा संयुक्त विकास आयुक्त के कार्यालय में भी दो-दो अतिरिक्त कार्यकम अधिकारियों व नरेगा आयुक्त कार्यालय को सुदृढ़ करने के लिए 04 अतिरिक्त कार्यकम अधिकारियों की सेवाएं, इन कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण करने की दृष्टि से उपरोक्त शर्तों पर

प्राप्त की जायेंगी।

**कम्प्यूटर आपरेटर/डाटा इन्ट्री आपरेटरों की सेवाएं**

8.3 प्रत्येक विकास खण्ड में एक कम्प्यूटर आपरेटर/डाटा इन्ट्री आपरेटरों की सेवाएं प्राप्त की जायेंगी। इन पदों के लिए विहित शैक्षिक अर्हता 'ओ' लेवल अथवा इसके समकक्ष है। इस पद हेतु अधिकतक 8000/— रू0 प्रतिमाह मानदेय प्रदान किया जायेगा। इनकी सेवाएं सेवा प्रदाता के माध्यम से प्राप्त की जायेंगी। इनकी सेवाएं प्राप्त करते हुए राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर प्रवृत्त आरक्षण संबंधी नियमों/उपबंधों का अनुपालन किया जायेगा।

**एकाउन्टस असिस्टेन्ट की सेवाओं के संबंध में**

8.4 प्रत्येक विकास खण्ड में एक एकाउन्टस असिस्टेन्ट की सेवाएं भी लेना प्रस्तावित है। उक्त पद हेतु शैक्षिक योग्यता बी0काम0 होगी। मानदेय 8000/— रू0 प्रतिमाह अधिकतम दिया जायेगा। उनकी सेवाएं सेवा प्रदाता के माध्यम से ली जायेंगी। उनकी सेवाएं प्राप्त करते समय राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर प्रवृत्त आरक्षण संबंधी नियमों/उपबंधों का अनुपालन किया जायेगा।

8.5 सेवा प्रदाता के माध्यम से तकनीकी सहायकों, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारियों, कम्प्यूटर आपरेटर/ डाटा इन्ट्री आपरेटर और लेखा सहायकों की सेवाएं प्राप्त करने की प्रक्रिया को विहित करते हुए राज्य सरकार द्वारा पृथक—पृथक आदेश जारी किया जायेगा।

## अध्याय—9
## प्रकीर्ण

**तृतीय चरण के जिलों में योजना का क्रियान्वयन**

9.1 दिनांकः 01 अप्रैल, 2008 से प्रवृत्त तृतीय चरण के जिन 31 जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना लागू है वहां पर वे सभी व्यवस्थाएं लागू होंगी, जो प्रथम चरण व द्वितीय चरण के जिलों मे लागू हैं।

**दर अनुसूची**

9.2 नरेगा के अधीन कतिपय राज्यों में दर अनुसूची एवं कार्यों के मानक अलग से निर्धारित किये गये हैं। अतएव उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना हेगतु कार्यों के मानक व दर अनुसूची को निर्धारित करने की शक्ति, लोक निर्माण विभागद्वारा निर्धारित दरों के स्थान पर ग्राम्य विकास विभाग को प्रतिनिधानित कर दिया गया है। अब ग्राम्य विकास विभाग द्वारा लोक निर्मा विभाग/श्रम विभाग से विचार विमर्श कर दर अनुसूची का निर्धारण किया जायेगा। इस प्रयोजन के लिए आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग की अध्यक्षता में सिंचाई, लोक निर्माण विभाग तथा वन विभाग के सक्षम अधिकारियों की एक समिति गठित की जायेगी, जिसकी संस्तुतियों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

**ग्राम रोजगार सेवक को हटाने की व्यवस्था**

9.3 ग्राम रोजगार सेवक का कार्य संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में उसे हटाने का अधिकार ग्राम प्रधान को दिया गया है। यदि किन्हीं कारणों से ग्राम प्रधान उसे नहीं हटाता है, तो ग्राम प्रधान का स्पष्टीकरण प्राप्त कर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा। ग्राम रोजगार सेवक को देय भत्तों का निर्धारण ग्राम स्तर पर सृजित होने वाले मानव दिवसों के आधार पर किया जायेगा।

(रोहित नन्दन)
प्रमुख सचिव।